भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं-3650
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

स्नातक पाठ्यक्रम में छात्राओं को छात्रवृत्ति

3650. **श्री सुनील कुमार:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक में दाखिला लेने वाली छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करती है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या राजकीय डिग्री कॉलेज, बगहा, बिहार और अन्य कॉलेजों की छात्राओं को यह छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है क्योंकि ये कॉलेज विभाग की वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं हैं; और
(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार गरीब बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उक्त कॉलेजों को शामिल करने की योजना बना रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): सरकार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्राओं सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू कर रही है, जो मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अध्यधीन हैं। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित मानदंडों सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
1.	उच्चतर शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/en/scholarships-education-loan-0
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=661&lid=823
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों (सीएसएसएस) के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 82000 नए छात्रवृत्ति स्लॉट उपलब्ध हैं। 50% छात्रवृत्ति स्लॉट छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (एचईआई) को अपने संस्था के नोडल अधिकारी (आईएनओ) और संस्था प्रमुख (एचओआई) को इलेक्ट्रॉनिक केवाई (ईकेवाई) और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकृत करना आवश्यक है, जो कॉलेज के छात्रों के आवेदनों को वैधता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तथापि, एनएसपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजकीय डिग्री कॉलेज, बगहा, पश्चिम चंपारण, बिहार (एआईएसएचई कोड: सी-65394) द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, संस्थान एनएसपी पर सक्रिय नहीं है।

पिछले पांच शैक्षणिक वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से पीएम-यूएसपी सीएसएसएस की लाभार्थी छात्राओं की

संख्या 3,596 है। पिछले पांच शैक्षणिक वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान बिहार के उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से पीएम-यूएसपी सीएसएसएस की लाभार्थी छात्राओं की संख्या 60,756 है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो गुणवत्ता उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और इन क्यूएचईआई से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, ₹8 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज पर छूट प्रदान करती है। कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं प्राप्त करने वाले एक लाख तक नए छात्रों को इस ब्याज पर छूट मिलेगी। एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज पर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल दिनांक 25 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है। दिनांक 25 फरवरी 2025 से दिनांक 7 अगस्त 2025 के दौरान, 48 छात्र जो पश्चिम चंपारण ज़िले के मूल निवासी हैं, ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है। अब तक, इनमें से 20 शिक्षा ऋणों को स्वीकृति मिल चुकी है। संस्वीकृत राशि ₹2.1 करोड़ है, जो पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए है।

*****